श्री श्रीमान कुशलराम जाटीया गोरहाकी वकील अपीलांट
व अपीलांट को अवगत किया गया कि
का अवगत किया है कि प्रकरण न्यायालय
तक बाकी नहीं होने से अपील अपीलांट
अपने पक्ष में अग्रिम कार्यवाही करने का
के आदेश दिये जाते हैं। अग्रिम प्रकरण
मुमकिन होकर नोट के कर दी।

उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ